भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3137
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

ओडिशा में शिशुगृह एवं फीडिंग केंद्र

3137. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ओडिशा पीवीटीजी पोषण कार्यान्वयन कार्यक्रम (ओपीएनआईपी) के तहत 1 अक्तूबर 2024 से शिशुगृह (क्रैश) और फीडिंग केंद्र बंद करने के ओडिशा सरकार के निर्णय की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या 12 जिलों में इन केंद्रों को बंद करने के प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की महिलाओं और बच्चों की पोषण और बाल परिचर्या संबंधी देखभाल आवश्यकताओं पर उक्त बंद के प्रतिकूल प्रभाव का उपशमन करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या पीवीटीजी महिलाओं और बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं हेतु अबाध सहायता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपाय या कार्यक्रम का विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार *ओडिशा पीवीटीजी पोषाहार कार्यान्वयन कार्यक्रम (ओपीएनआईपी)* नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है। हालांकि, मंत्रालय ने बच्चों (6 महीने से 6 साल की उम्र तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिशुगृह सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति के तहत पालना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषण संबंधी सहायता के साथ विकास की निगरानी और टीकाकरण भी किया जाता है।

आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो अंतिम मील तक देखभाल सुविधाओं का वितरण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित

हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे सुरक्षित वातावरण में उनके हितों का ध्यान रखते हुए पूरे दिन बाल देखभाल सहायता की सुविधा मिलेगी। पालना का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिशुगृह सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण की सुविधा प्रदान करना है। पालना के तहत सभी माताओं को शिशु गृह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे उनकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कुल 10,609 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से ओडिशा राज्य के लिए 1000 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए जा चुके हैं।

******